

दिनांक- 30/4/15-7-16/24/1999

प्रमुख,

श्री अमोल शर्मा,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा क्षेत्र 2 संयुक्त केन्द्र,  
प्रतिष्ठान विकास नगर दिल्ली।

विधा 171 अनुभाग

संलग्न: दिनांक: 6 जून, 1999

विषय:- राज. शा. गिरवाला पब्लिक स्कूल मधोनी रोड मथुरा को सी.बी.एस.के.ए. न. दिल्ली से सम्बन्धित अनुपारित प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि राज. शा. गिरवाला पब्लिक स्कूल मधोनी रोड मथुरा को सी.बी.एस.के.ए. न. दिल्ली से सम्बन्धित अनुपारित प्रमाण पत्र दिले जाने में इस राज्य सरकार को निम्न-लिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनुपारित करना है :-

- 111 विद्यार्थियों की संज्ञोक्त सोसायटी का सम्य सम्य पर क्वीन्सकरण कराया जायेगा।
- 112 विद्यार्थियों की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 113 विद्यार्थियों में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुपारित जाति/अनुपारित जाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विद्यार्थियों में विभिन्न स्थाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाये।
- 114 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यार्थियों माध्यमिक शिक्षा परिषद से अपना केसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यार्थियों की सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद कोसित कार दि इन्डियन स्कूल सी.बी.एस.के.ए. प्रमाणिकेन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बन्धित प्राप्त होने की स्थिति में परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 115 संस्था केसिक एवं विद्यार्थियों के अधीनस्थ स्थाओं की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अधीनस्थों को अनुपारित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिले जायेंगे।

For Ramenlal Bhanwala Public School

*(Signature)*

Manager

... 2/

- 16। छात्राचार्यों को सेवा नहीं बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आवासीय उपचार माध्यमिक विद्यालयों के छात्राचार्यों को अनुमति सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा ।
- 17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निरीत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- सूचना यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विद्यालय की मुक्ति/बन निजी स्वामित्व में है ।

3- उक्त शर्तिकाओं का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होना और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त शर्तिकाओं का पालन नहीं किया जा रहा है उक्त पालन करने में किसी प्रकार की वृद्ध या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति पुनाम पर वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

। सुनील यादव ।  
संयुक्त सचिव ।

सं० 3044111/15-7-1999 तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचारु एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- माध्यमिक संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरा ।
- 4- निरीक्षक, जिला भारतीय विद्यालय जयपुर लखनऊ ।
- 5- मुख्यालय रमल बाल शैक्षणिक वणिज्य स्कूल बडोनी रोड मुरा ।

आटा है,

। सुनील यादव ।  
संयुक्त सचिव ।

For Ram Lal Sonowala Public School

। सुनील यादव ।

Manager